उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, सन् 2020)

THE UTTAR PRADESH RECOVERY OF DAMAGES TO PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY ACT, 2020

(U.P. Act No. 11 of 2020)

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2020]

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2022

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया तथा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने 28 अगस्त, 2020 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 31 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुआ।]

सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बन्द, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशान्ति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और इसकी निरन्तरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने और लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली का उपबन्ध करने और हुई क्षतियों का अनुसंधान करने और तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 15 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) 'दावा आयुक्त' का तात्पर्य अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न ऐसे किसी अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया जायेगा;

(ख) 'दावा अधिकरण' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित किसी दावा अधिकरण से है;

(ग) 'क्षति' का तात्पर्य अन्य व्यक्ति व उसकी सम्पत्ति के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा कृत किसी कार्य या चूक के कारण हुई हानि, आघात या क्षय से है;

(घ) 'रिष्टि' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 में है;

(ङ) 'व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 11 में है;

(च) 'निजी सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी धार्मिक निकाय, सोसाइटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन लोक सम्पत्ति न हो या ऐसे फर्मों, जिन पर उनके स्वामियों का अनन्य, आत्यांतिक, विधिक अधिकार हो;

1. उद्देश्य और कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(छ) 'लोक सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी चल या अचल सम्पत्ति से है और जिसमें ऐसी कोई मशीनरी सम्मिलित है जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो:—

(एक) केन्द्र सरकार; या

(दो) राज्य सरकार; या

(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या

(चार) कोई निगम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तत्धीन स्थापित कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई कम्पनी; या

(पाँच) कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु, यह कि राज्य सरकार किसी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम को इस उपखण्ड के अधीन तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम का पूर्णतः या पर्याप्त वित्त पोषण, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से और केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में उपबन्धित निधियों द्वारा नहीं किया जाता है।

अध्याय—दो

दावा याचिका, वाद पुनरीक्षण और अनुसंधान

लोक या निजी सम्पत्ति के लिए दावा याचिका

3—सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट, जो घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित हो और इस दौरान एकत्रित की गयी अन्य सूचना प्राप्त किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या कार्यालय प्रमुख को लोक सम्पत्ति के प्रति क्षति किये जाने के दिनांक के अधिमानतः तीन माह के भीतर प्रतिकर हेतु दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दाखिल करने के लिए तुरन्त कदम उठाना होगा।

वादों का पुनरीक्षण

4—यथास्थिति जिला कलेक्टर या आयुक्त त्रैमासिक आधार पर प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा वादों के संचालन का पुनरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

वादों का अनुश्रवण

5—विभागाध्यक्ष प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा के संचालन और निस्तारण का अनुश्रवण करेगा और कार्यालयाध्यक्ष को समय समय पर आवश्यक निदेश देगा।

निजी सम्पत्ति हेतु दावा याचिका

6—निजी सम्पत्तियों के स्वामी, जिनकी सम्पत्ति भी ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी से ऐसी रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिकर हेतु अपनी दावा याचिकायें नियमानुसार दाखिल करेंगे।

अध्याय—तीन

दावा अधिकरण, कृत्य और शक्तियाँ

दावा अधिकरण का गठन

7—(1)राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी लोक सम्पत्ति या निजी सम्पत्ति या दोनों की क्षतियों के सम्बन्ध में प्रतिकर हेतु दावों का न्यायनिर्णयन करने और उसे इस अधिनियम के अधीन समानुदेशित कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक या उससे अधिक सम्पत्ति क्षय दावा अधिकरणों का गठन करेगी, जिसे आगे दावा अधिकरण कहा गया है।

(2) दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु उतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे और जहॉ उसमें दो या दो से अधिक सदस्य हों वहॉ उनमें से एक सदस्य की नियुक्ति उसके अध्यक्ष के रूप में की जायेगी।

(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह :—

(एक) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश न रहा हो (अध्यक्ष के रूप में),

या

(दो) अपर आयुक्त की श्रेणी का अधिकारी न हो (सदस्य के रूप में)

(4) जहाँ दो या उससे अधिक दावा अधिकरण किसी क्षेत्र के लिए गठित किये जायें वहॉ राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके मध्य कार्य आवंटन का विनियमन कर सकती है।

दावा अधिकरण के कृत्य और शक्तियाँ

8–(1) धारा 3 या धारा 4 के अधीन घटित घटनाओं में किसी लोक या किसी निजी सम्पत्ति के कारण हुई क्षतियों का अवधारण करना और तत्सम्बन्ध में समुचित प्रतिकर अधिनिर्णीत करना दावा अधिकरण का कर्तव्य होगा।

(2) दावा अधिकरण, यदि उचित समझे जाँच आयोजित करने में अपनी सहायता हेतु क्षतियों का आकलन करने और दायित्व का अनुसंधान करने के लिए एक दावा आयुक्त नियुक्त कर सकता है।

(3) दावा अधिकरण यथास्थिति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल से दावा आयुक्त, जो ऐसी क्षति का आकलन करने में प्राविधिक रूप से अर्ह हो, की सहायता करने के लिए एक आकलनकर्ता भी नियुक्त कर सकता है।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले पारिश्रमिक का अवधारण, प्रत्येक दशा में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(5) दावा आयुक्त और आकलनकर्ता, क्षतियों को इंगित करने और क्षति करने वालों के मध्य गठजोड़ स्थापित करने हेतु निजी और लोक स्रोतों से विद्यमान वीडियो या अन्य रिकार्डिंग एकत्रित करने के लिए दावा अधिकरण से अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं।

(6) दावा आयुक्त तीन माह की अवधि के भीतर अथवा बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, जो दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की गयी हो, के भीतर दावा अधिकरण को रिपोर्ट देगा। दावा अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् दायित्व का निर्धारण करेगा।

(7) दावा अधिकरण इस निमित्त बनाये जाने वाले किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें।

दावा अधिकरण के पास शपथ पूर्वक साक्ष्य ग्रहण करने और साक्षीगण की उपस्थिति को प्रवर्तित करने और दस्तावेज तथा सारवान वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजनार्थ और यथाविहित अन्य प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियॉ होंगी और दावा अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 175 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय के रूप में समझा जायेगा।

दावा अधिकरण की प्रक्रिया

प्रतिकर हेतु आवेदन/दावा याचिका

9–[1]**[**(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका जिसके साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में पच्चीस रूपये की फीस संलग्न होगी, तीन वर्ष के भीतर दाखिल की जाएगी।**]**

(2) दावा अधिकरण के समक्ष खण्ड (एक) में उल्लिखित आवेदन से भिन्न, समस्त आवेदन पचास रूपये के न्यायालयीय फीस स्टाम्प के साथ स्टाम्पित होगें। एक सौ रूपये की प्रक्रिया फीस, समन किये गये प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए संदत्त न्यायालयीय फीस स्टाम्प के रूप में होगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जबतक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के पर्याप्त कारण से रोका न जाय, जिस मामले में इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

सम्पत्ति क्षति दावा का वाद हेतुक

10–लोक और निजी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाले कार्यों के उपाय प्रारम्भ करने के लिए वाद हेतुक होगा।

लोक तथा निजी सम्पत्ति हेतु प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही कौन प्रारम्भ कर सकता है और उसकी समय सीमा

11–[2]**[**(1) जहाँ कहीं हड़ताल, बंद, दंगो, लोक उपद्रव या प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी संपत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहां इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के अधिमानतः तीन वर्ष के भीतर प्रतिवाद का दावा करने की कार्यवाही प्रारंभ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा :–

(क) लोक संपत्ति के लिए उत्तरदायित्व, बंद, हड़ताल, दंगा, लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान और उसके फलस्वरूप नष्ट हुई संपत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या कार्यालयाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे;

(ख) निजी संपत्ति के लिए उत्तरदायित्व, निजी संपत्ति का स्वामी, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी, जिसके पास अन्य और आत्यंतिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त संपत्ति का अतिचारी न हो, में निहित होगा;

(ग) वैयक्तिक क्षति के लिए उत्तरदायित्व,–

(एक) ऐसे व्यक्ति में निहित होगा, जो क्षतिग्रस्त हुआ हो, अथवा जहां मृत्यु, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि के कारण हुई हो; अथवा

(दो) ऐसे अभिकर्ता में निहित होगा, जो यथास्थिति क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) दावा अधिकरण किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या स्वयं अपनी जानकारी पर स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है कि इस अधिनियम के अर्थातर्गत क्षति हुई है।

(3) दावा अधिकरण, दावा याचिका दाखिल करने में विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक तद्निमित्त युक्तियुक्त कारण दर्शाता है। **]**

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कौन प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित हो सकता है

12–सम्पत्ति क्षति के किसी दावा याचिका में यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या निजी सम्पत्ति का स्वामी [1][क्षति के लिए दावा याचिका में दावेदार] ऐसे व्यक्तियों को जो उनके ज्ञान में उक्त कार्यो का आह्वान किये हों अथवा उसे किये हों, ऐसे व्यक्तियों को जो पुलिस की रिपोर्ट में इस प्रकार नामित हो, उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिन्होंने विनाश या क्षति करने वाले कार्यों का आह्वान किया है या किया है, जिसने विरोध प्रदर्शन प्रयोजित किया हो, आह्वान किया हो या आहूत किया हो, को प्रतिवादियों के रूप में सम्मिलित कर सकता है।

पक्षकारों को नोटिस

13–दावा अधिकरण प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति के साथ आवेदन पर सुनवाई करने की तिथि की नोटिस भेजेगा।

अधिकरण ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करेगा जो अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल हो गया हो और अधिकरण सम्पत्ति को कुर्क कर लेगी और प्राधिकारियों को निदेशित करेगा कि वे प्रतिवादी की सम्पत्ति क्रय न करने के लिए सार्वजनिक रूप में वृहद पैमाने पर चेतावनी सहित नाम, पता और फोटोग्राफ प्रकाशित करें।

पक्षकारों का उपस्थित होना और लिखित विवरण दाखिल किया जाना

14–प्रतिवादी प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या दावा अधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे अग्रतर समय के भीतर, जो नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद की नहीं होगी। दावा याचिका में दावाकृत क्षतियों को व्यवहृत किये जाने के सम्बन्ध में लिखित विवरण दाखिल करेंगे और ऐसा कोई लिखित विवरण अभिलेख का अंग होगा।

साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की पद्धति

15–दावा अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सम्यक् अनुपालन के साथ उक्त मामले में विनिश्चय करेगा और शपथपूर्वक साक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है तथा यथा अपेक्षित रूप में दस्तावेज की माँग कर सकता है।

स्थानीय निरीक्षण

16–दावा अधिकरण अपने समक्ष किसी जाँच के किसी प्रक्रम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस के पश्चात् ऐसे घटना स्थल या किसी अन्य स्थल या ऐसी वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जो उसकी राय में दावा याचिका के समुचित विनिश्चय के लिए अवलोकन हेतु आवश्यक हो।

सुनवाई का स्थगन

17–दावा अधिकरण समय–समय पर किसी पक्षकार के आवेदन पर अथवा अन्य रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सुनवाई स्थगित कर सकता है। जब आवेदन पर स्थगन स्वीकृत किया जायेगा तो दावा अधिकरण स्थगन से सम्बन्धित लागतों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसाकि वह उचित समझे। किसी भी स्थिति में एक पक्षकार को तीन से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह कि दावा अधिकरण वाद बिन्दु विरचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर तत्परतापूर्वक दावा याचिका पर विनिश्चय करेगा।

विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थिति

18–दावा अधिकरण स्व-विवेक से मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को स्वयं अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अनुज्ञा दे सकता है।

निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय

19–(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करने में अपने निर्णय में प्रत्येक विरचित बिन्दु का निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष का कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनिर्णय करेगा और व्यक्ति या व्यक्तियों को यथा-स्थिति संयुक्त या अलग-अलग प्रतिकर संदाय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करेगा :

---

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि दावा अधिकरण अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से संदत्त किये जाने योग्य प्रतिकर की दुगुनी धनराशि की अनधिक सीमा तक ''अनुकरणीय क्षति'' अधिनिर्णीत कर सकता है;

परन्तु अग्रतर यह कि यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या बीमा कम्पनी या इस निमित्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त निजी सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर के रूप में किसी धनराशि का भुगतान किया गया हो तो दावा अधिकरण ऐसी धनराशि का समायोजन इस प्रकार अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि से करेगाः

परन्तु यह भी कि प्रतिकर की धनराशि घटना के दिनांक को क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम नहीं होगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दो या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाय वहाँ दावा अधिकरण को उनमें से प्रत्येक के लिए संदेय धनराशि को भी विनिर्दिष्ट करना होगा।

जैसे ही क्षति हेतु वसूली का आदेश पारित किया जाय, वैसे ही प्रतिवादी की सम्पत्ति कुर्क कर ली जाय और प्राधिकारियों को निदेशित किया जायेगा कि वे कुर्क की गयी सम्पत्ति क्रय न करने के लिए वृहद पैमाने पर सार्वजनिक रूप में चेतावनी सहित नाम, पता तथा फोटोग्राफ प्रकाशित करें।

(3) प्रतिकर हेतु दावा का निस्तारण करते समय दावा अधिकरण कार्यवाही में उपगत लागतों और व्ययों से सम्बन्धित ऐसे आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

[1][(4) किसी व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में उपाारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम पॉच लाख रूपये की धनराशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम एक लाख रूपये की धनराशि होगी।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाय तब ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसे अधिनिर्णय के सम्बन्ध में किसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा की जाय, को दावा अधिकरण द्वारा ऐसे अधिनिर्णय के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से अधिनिर्णीत, जैसा कि दावा अधिकरण निर्दिष्ट करें, सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, ऐसे व्यक्ति, जिसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, के किसी उपेक्षा या व्यतिवम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जायेगी।]

ब्याज का अधिनिर्णय, जहाँ कोई दावा अनुज्ञात हो

20–जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई दावा अधिकरण, प्रतिकर हेतु किसी दावा की अनुज्ञा प्रदान करे वहाँ ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त साधारण ब्याज भी इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दावा के दिनांक के पश्चात् के दिनांक से संदत्त किया जायेगा।

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

सम्पत्ति की क्षति की मात्रा को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिद्वान्त एवं उसके उत्तरदायित्व

21–(1) एक बार घटना के साथ अन्तर्सम्बन्ध, जिसके कारण क्षति हुई हो, स्थापित हो जाने पर आत्यंतिक दायित्व के सिद्वान्त लागू होगें।

(2) दायित्व का वहन, वास्तविक अपराध करने वालों के द्वारा किया जायेगा अथवा जो दुष्प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करेगा, दायित्व के लिए भागीदार होगा, जैसा कि दावा अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जायेगा।

[1]**[**(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा,–

(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति;

(दो) निजी सम्पत्ति की क्षति;

(तीन) वैयक्तिक क्षति;

(चार) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियॉं करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत।**]**

[2]**[**(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि किसी व्यक्ति को किसी घटना के कारण कोई ऐसी क्षति या क्षतियॉं हुई हों, जिसमें,–

(क) किसी नेत्र की दृष्टि का या किसी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेदन होना; या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी होना; या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण होना;

सम्मिलित हो, तो ऐसी निःशक्तता, स्थायी निःशक्तता मानी जायेगी।]

अन्तिम अधिनिर्णय

22–दावा अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अधिनिर्णय अन्तिम होगा और ऐसे आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील संपोषणीय नहीं होगी।

भू.राजस्व के बकाये के रूप में धनराशि की वसूली

23–जहॉं कोई धनराशि किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति के लिए देय हो वहॉं दावा अधिकरण, धनराशि के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा उसे किये गये आवेदन के आधार पर कलेक्टर को धनराशि हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और कलेक्टर उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने के लिए कार्यवाही करेगा।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

24–जहॉं किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया हो वहॉं किसी सिविल न्यायालय के पास कोई ऐसी अधिकारिता नहीं होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से सम्बन्धित किसी प्रश्न को अंगीकृत करे जो कि उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाना हो और प्रतिकर हेतु दावा के सम्बन्ध में दावा अधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा कृत या किये जाने हेतु किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई व्यादेश सिविल न्यायालय द्वारा नहीं प्रदान किया जायेगा।

दाण्डिक कार्यवाहियों द्वारा रोक नहीं

25–दावा याचिका की कार्यवाहियॉं दाण्डिक कार्यवाही, यदि कोई हो जो सम्बन्धित घटना से उत्पन्न हुयी हो, द्वारा अवरुद्ध नहीं होगीं।

अध्याय–चार

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

26–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 6 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 6 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

27–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार किसी अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा–(1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा–(1) के अधीन किया गया कोई आदेश और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23क की उपधारा–(1) के उपबन्ध यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेगें।

(4) जहाँ अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी विषय में यह अधिनियम मूक हो वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध तत्सम्बंध में लागू होंगें।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

28–(1) इस अधिनियम के प्रख्यापन के साथ कोई अन्य विद्यमान विधि या इस अधिनियम के अनुरूप शासनादेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं और निष्प्रभावी घोषित किये जाते हैं:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

(क) किन्हीं ऐसे शासनादेशों या विधि या तद्धीन सम्यक रूप से कृत या उपभुक्त किसी बात का पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

(ख) ऐसे शासनादेश या विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

(ग) ऐसे शासनादेश या विधि के विरुद्ध कृत किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड;

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय, और कोई ऐसा अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकता है और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, मानों, ऐसा शासनादेश या ऐसी विधि निरसित न की गयी हो।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) द्वारा निरसित किसी शासनादेश या विधि के अधीन कृत कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सहवर्ती उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक निरन्तर प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या कृत किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।

दावा अधिकरण के मामलों का अन्तरण

[1][28क–इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति अथवा उससे हुई वैयक्ति क्षति की वसूली के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवर्तित होने के पूर्व शासनादेश संख्या 4131/छः–पु0–9–14–10–500(289)–09, दिनांक 8 जनवरी, 2011 और शासनादेश संख्या 1057/छः–पु0–3–2011–63पी–10, दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के अनुसरण में कृत

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 2022 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

कार्यवाहियॉं, जैसा है, जहॉं है, के आधार पर दावा अधिकरण को अन्तरित हुई मानी जायेंगी और ऐसे मामलों में इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दावा याचिका दाखिल करने की आवश्यक्ता अपेक्षित नहीं होगी।**]**

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2020

29–(1) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोक और निजी सम्पत्ति की क्षति बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में टिप्पणी की है कि प्रायः देश में राजनीतिक जूलूसों, अवैध प्रदर्शनों, हड़ताल, बन्द तथा आन्दोलनों के आह्वान पर लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है, जिसके निवारण हेतु कठोर विधायन अपेक्षित है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी करने और ऐसी घटनाओं के कारण लोक या निजी सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए निदेश जारी किये गये थे।

सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने, इसकी निरन्तरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने और सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक अशान्ति तथा प्रदर्शनों के दौरान लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली का उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त विनिश्चय तथा तद्धीन अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार हुई क्षति का अनुसंधान करने और उसका अवधारण करने और तत्सम्बन्ध में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने का उपबन्ध करना आवश्यक पाया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।